

तारीख हुकम

नम्बर के
अहकाम
हुकम को
में जारी

4/12/19

अप्रावणीकरण द्वारा प्राप्त सिद्ध
सुनवाणी पेस डुआ / प्रकरण पत्र सिद्ध सुनवाणी
पेस डुआ पर पनावली गिफत पेचीर
तक ही गयी। अप्रावणीकरण ने प्रावण-
सिद्ध सुनवाणी में निवेदन किया है कि
श्रीमान जिला कमिश्नर मधेपुरा सीएम के
द्वारा दिनांक 3.12.19 को भागवति उच्च न्यायालय
जयपुर में विचारधीन प्रकरणों में सिद्ध
पानना हेतु निर्देशित किया है अतः
अप्रावणीकरण का प्रावण पत्र सिद्ध सुनवाणी
वकील को दिया जाता है प्रकरण में सिद्ध
सुनवाणी हेतु दिनांक पेची 6/12/19 गिफत
किये जाते हैं प्रावणिक को सुचना (सिद्ध सुनवाणी)
हेतु गोरिप जारी है। मिलल वास्तु कथ
दिनांक 6/12/19 का पेस डुआ

4745-24
6/12/19

6/12/19

पनावली पेस डुआ अन्तिम अहकाम गज न प्रावण
वकील के रखा है। पनावली प्रकरणों के
दिनांक 9/12/19 का पेस डुआ पोस्टाई अ-म कर्त
में लाने।

9/12/19

पनावली पेस डुआ वकील प्रावणिक
अप्रावणीकरण का 4 की आर से
प्रतिकीपी धारित। कथन हेतु अपसर-वादा
न्याय दित के अपसर दिनांक आरत मिलल दिनांक

12-12-19 को पेस हो।

2-12-19 पत्रकली पेस हुई। कृषक उमप
 पहावाहन खुनी गरी। फोराने कृषक कबीला
 प्राथमिक न कयन डिमा कि कृषि प्र सि खं न
 पुराने 282 रक्का 23 बीघा हो डिस्का ग्राम फतेहपुर
 मोरिमान तस्मीन खयला में अकलिये हो डिस्के
 प्रम नपे खं न 283, 288 कुल रक्का 4.56 हं
 डिस्के सिन नपे खं न 283/2 रक्का 2.43 हं
 खं न 288/1, रक्का 1.85 हं, खं न 283/1,
 रक्का 0.27 हं, 288/2 रक्का 0.01 हं वने हं।
 डिस्के प्र सि खं न नपे 283/2 रक्का 2.43 हं
 खं न 288/1 रक्का 1.85 हं के प्राथमिक
 कारिज खातेदार कारवाला हं। प्राथमिक वम
 कुकुगान ले हो अखात प्रथम सेलमेन्ट ले
 हो कारिज कयत यले आ रहे हो अखात
 पुराने प्र सि खं न 282 रक्का 23 बीघा को
 डिस्का प्र सि पर कारिज कायत यले आ रहे हं।
 लेकिन सेलमेन्ट कर्मचारियो एवं अधिकारीयो
 ने धार लापरवाही करते हुए प्राथमिक के पुराने
 खं न 282 रक्का 23 बीघा को डिस्का रक्का 5.7750
 हं बना हं के नपे खं न 283 रक्का 2.70
 हं, खं न 288 रक्का 1.86 हं किता-2 रक्का 4.56
 हं पर्ज करते हुए प्राथमिक का रक्का 1.2150 कम
 पर्ज कर डिमा तथा नया नम्बरा नो भी कर्त
 गलत दर्शा डिमा तथा प्र सि खं न पुराने 282
 के सवाहा पुराना खं न 304 रक्का 17 बीघा 7 डिस्का

13/

4745-49

5/12/19

मार्ग

रकर

खसरा नं० २० बगता १० ५ बगाम जतिन
 रकबा २.१५ रकबा २.८० रकबा १.१६ रकबा २.५५
 किता-३ कुल रकबा ६.९० रकबा १.९६ रकबा २.५५
 भूमि अधिक दफा करते हुए भूमि खं नं० पुराने
 ३०५ का नाम नम्बरा को भी कतई गलत
 दर्शाते हुए अज्ञापीगिज के नाम खातेदारी
 कतई गलत रूप कर दी है अज्ञापीगिज जो पुराने
 खं नं० ३०५ से बने नये खं नम्बरों में से
 १.२१.५० रकबा भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने
 तथा पुराने नम्बरा के सुतापिक ही नाम नम्बरा
 में दुम्हारी करवाने का अधिकारी है अतः अज्ञापीगिज
 को तारीखे फ़ैसल दावा अज्ञापीगिज को मल्लाह निकाल
 से पाकन्द करवाया जाय

जबकि अज्ञापीगिज १ ता ४ की माते
 से वापक तहसीलदार खण्डेला ने कपन किफा कि
 माते अउलाए वकील खं नं० २१७ रकबा २.८०
 रकबा २.८० में रकबा १.६१ रकबा पर अतिक्रमण
 है तथा रकबा मागला दिकीरी में किफारापण
 है अतः उक्त खं नं० २१७ रकबा १.६१ रकबा के
 अतिक्रमण को दखाने से बचने के उद्देश्य से
 स्थगत प्राप्त किया है अतः अज्ञापीगिज
 का अज्ञापीगिज सवपन खारीज करवाया जाय
 ताकि अतिक्रमण दखाना जा सके।
 हमने बहत वकील अज्ञापीगिज
 जा

व अपीलिंग सि आर से सुनी गयी
 बंध के तबसे पर गोर किना। यदि
 ख नं० 217 में मानविष ~~व्यक्ति~~ उच्च न्यायालय
 जयपुर ने अतिरिक्त हमने का आदेश दिया
 है। अतः प्रार्थना का प्रावण अस्थाई निषेधाज्ञा
 में पारीत निर्णय दिनांक 13-5-19 अपाए
 किना जाकर मूल प्रार्थना पर अस्थाई
 निषेधाज्ञा खारीज की जाती है परन्तु
 फंडामेंटल हॉनेटमन्ट से कम हो
 वाइ तकनीक दायित्व दायर है।

for
 (रजनीत सिंह)
 A/S